

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011-12

जयपुर, दिनांक :

5 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में अत्यधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्यों का समय निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. दिनांक 07.04.2017 से 30.04.2017	प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक (विश्रामकाल 30 मिनट सहित)।
2. दिनांक 01.05.2017 से 30.06.2017	प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक (विश्रामकाल 30 मिनट सहित)।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड़ सकता है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय  
(देबाशीष पृष्टि)  
आयुक्त, ईजीएस  
5-4-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. समस्त जिला प्रभारी सचिव।
8. आयुक्त, ईजीएस।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त।
10. मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद राजस्थान।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बाडमेर।
13. कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी समस्त पंचायत समिति राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस